

दि० :- 29.01.2021

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 राजस्व वाद के साथ पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राजस्व लिपिक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी का अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन रहा। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। बहस प्रार्थी अभिभाषक, पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक पत्रावली प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में ही प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण की गतिविधियों, वाद हेतुक से अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होना संभाव्य है, दौराने एक पक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजानुसार एवं बहस एकपक्षीय, प्रार्थी के मध्य नजर अप्रार्थी 01 लगा० 08 तक को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः अप्रार्थी 01 लगा० 08 तक को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से विवादित आराजी खसरा नम्बर 19/0.16, 23/1.10, 49/2.39, 50/0.16, 56/0.18, 58/4.68, 59/0.29, 99/1.08, 111/0.16, 116/0.10, 145/0.57, 157/0.61, 161/0.61, 167/3.74, 356/0.58, 357/0.16, 358/0.60, 701/175/1.06 है० वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) में अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक तक राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए०डी० डाक से की जावें। अप्रार्थीगण को सशुल्क तलवाना/रजिस्टर्ड ए०डी० से नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान्/ असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.03.2021 को पेश हो।

24

09/2/21

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

काजपावली द० पत्रावली का मुण्डावर (अलवर) राज०
हुड्डे (अलवर) जिला अलवर (राज०) में अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक तक राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए०डी० डाक से की जावें। अप्रार्थीगण को सशुल्क तलवाना/रजिस्टर्ड ए०डी० से नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान्/ असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.03.2021 को पेश हो।



24

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०